कार्यालय, प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।

पत्रांक–1884/12–1, दिनांकः मसूरी, 27/12/2018।

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०,
ऋषिकेश (देहरादून)।

विषयः– **जनपद–देहरादून के विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत सौड़ा–द्वारा से चमेली चौक तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 3.01 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या–FP/UK/ROAD/13205/2015)**

सन्दर्भ :– भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून द्वारा अपने पत्र सं० 8बी/यू.सी.पी./06/292/2015/एफ.सी./1552, दिनांक 29–10–2018 एवं अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून की पत्र सं० 1268/FP/UK/ROAD/13205/2015, दिनांक 12 नवम्बर, 2018

महोदय,

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून द्वारा अपने पत्र सं० 8बी/यू.सी.पी./06/292/2015/एफ.सी./1552, दिनांक 29–10–2018 द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति एवं अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून के उक्त सन्दर्भित पत्र (प्रति संलग्न) जो आपको सम्बोधित तथा इस कार्यालय को पृष्ठांकित है का अवलोकन करने का कष्ट करें। भारत सरकार के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा प्रश्नगत् प्रकरण में कतिपय शर्तों के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों के अनुपालन एवं अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून के उक्त सन्दर्भित पत्र (प्रति संलग्न) के द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में विषयांकित कार्य हेतु प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा निर्धारित देय धनराशियों का विवरण निम्न प्रकार है:–

क.सं.	कार्य का विवरण	क्षेत्रफल (है० में)/पौध	दर	देय धनराशि
1.	नगर द्वारा सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक /क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव।	6.02	278665.00 / है०	16,77,563.00
2.	एन०पी०वी०	3.01 है०	845000.00 / है०	25,43,450.00
		योग :–		42,21,013.00

अतः उक्तानुसार आनलाईन चालान जनरेट कर देय धनराशि /धनराशियों के भुगतान हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 1 व 2 तथा अन्य शर्तों 3, 4, 5 एवं 6 की अनुपालन आख्या मय संलग्नकों सहित आनलाईन करते हुए संगत दस्तावेजों /अनुपालन आख्या की तीन प्रतियां अग्रेतर कार्यवाही हेतु इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नः–उक्तानुसार।

भवदीया

(कहकशां नसीम)
प्रभागीय वनाधिकारी,
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।

पत्रांक 1884 /दिनांकित।

प्रतिलिपि – अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून को उक्त सन्दर्भित पत्रों के क्रम में सादर प्रेषित।

(कहकशां नसीम)
प्रभागीय वनाधिकारी,
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।

Scanned by CamScanner